-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.04.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2016 में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 30 वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपये जुर्मानें की सजा ।**

विवरण –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **आपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2016 में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 30 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना कमासिन क्षेत्रान्तर्गत एक गांव में दिनांक 23.12.2016 को अभियुक्त रज्जू उर्फ राजेश तिवारी पुत्र गयाप्रसाद तिवारी निवासी चकरेही थाना कमासिन जनपद बांदा द्वारा एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर दुष्कर्म किया गया। इस सम्बन्ध में थाना कमासिन पर मु0अ0सं0 268/16 धारा 363/366/376(2) भा0द0वि0 व 06 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना निरीक्षक श्री निर्मल कुमार वाजपेयी द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को दिनांक 12.02.2017 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनांक 19.03.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था। अभियोजक श्री सुनील कुमार गुप्ता द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी विवेक कुमार तथा पैरोकार आरक्षी सतीश कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 न्यायालय ASJ/FTC-II बांदा द्वारा 30 वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. रज्जू उर्फ राजेश तिवारी पुत्र गयाप्रसाद तिवारी निवासी चकरेही थाना कमासिन जनपद बांदा

अभियोग-

- मु0अ0सं0 268/16 धारा 363/366/376(2) भा0द0वि0 व 06 पॉक्सो एक्ट थाना कमासिन जनपद बांदा।